रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 29] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 1971/माघ 23, 1892

No. 29] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 1971/MAGHA 23, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February 1971

G.S.R. 224.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 258 of the Constitution and of all other powers enabling him in this behalf, the President, with the consent of the Government of Meghalaya, hereby entrusts to that Government the functions of the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), in making Orders to provide for the matters specified in clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (h), (i), (ii) and (j) of sub-section (2) of section 3 of the said Act, in relation to foodstuffs, in the autonomous State of Meghalaya, subject to the following conditions, namely:—

(i) that in exercise of such functions, the said Government of Meghalaya shall comply with such directions as the Central Government may issue from time to time;

(ii) that before making an Order relating to any matter specified in the said clauses (a), (c) or (f), or in regard to distribution or disposal of foodstuffs to places outside Meghalaya or in regard to regulation of transport of any foodstuff under the said clause (d), the said Government of Meghalaya shall also obtain the prior concurrence of the Central Government; and

(iii) that in making an Order relating to any of the matters specified in th said clause (j), the said Government of Meghalaya shall authoris only an officer of Government.

[No. 203(MEGH)(1)/36/70-PY. II.

R. BALASUBRAMANIAN Jt. Secy

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1971

सा०का० नि० 224.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मेघालय सरकार की सम्मति से मेघालय के स्वशासी राज्य में, खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में, आवश्यक वस्तु अधिनियम, (1955 का 10) की धारा 3 की उपधारा (2) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (झझ) (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों का उपबन्ध करने के लिए आदेश बनाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार के कृत्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन उस सरकार को एतद्द्वारा सौंपते है, अर्थात् :—

(i) ऐसे कृत्यों का पालन करते हुए उक्त मेघालय सरकार ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगी जैसे केन्द्रीय सरकार समय समय पर जारी करें ;

(ii) उक्त खंड (क) (ग) या (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय सम्बन्धी या मेघालय से बाहर के स्थानों पर खाद्य वस्तुओं के वितरण या व्ययन के बारे में या उक्त खंड (घ) के अधीन किसी खाद्य वस्तु के परिवहन के विनियमन के बारे में आदेश करने से पूर्व उक्त मेघालय सरकार केन्द्रीय सरकार की पूर्वानर सहमति भी अभिप्राप्त करेगी ; और

(iii) उक्त खंड (ञ) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी की बाबत आदेश करने के लिए उक्त मेघालय सरकार केवल सरकार के अधिकारी को ही प्राधिकृत करेगी।

[सं० 203 (एम ई जी एच) (1)/36/70-पी० वाई०-II]

आर० बालसुब्रण्यम,
संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971